Government of Rajasthan

Parliamentary Affairs Department

No. F7(1) Sansad/2010 *Jaipur, dated 9-11-10*

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 4-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of April, 2010.

2. Definitions. – In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957);

(b) "Assembly" means the Rajasthan Legislative Assembly;

(c) "Ex-Member" means a person who is a recipient of or is entitled to pension under section 4-A of the Act; and

(d) "Secretary" means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any officer of the said Assembly, specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules.

3. Free travelling facility to Ex-members.- (1) Every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him,

राजस्थान सरकार

संसदीय कार्य विभाग

सं. एफ.7(1) संसद/2010 जयपुर, दिनांक : 9.11.10

अधिसूचना

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-घ के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2010 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;

(ख) ''सभा'' से राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है;

(ग) ''भूतपूर्व सदस्य'' से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन पाने वाले हैं या का हकदार है; और

(घ) ''सचिव'' से राजस्थान विधान सभा का सचिव अभिप्रेत है और इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त उक्त सभा का कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत है।

3. भूतपूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है, वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में

within the territory of India in any class of rail, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees twenty five thousand in a financial year.

(2) Where the Ex-member is elected as Member of Legislative Assembly or Member of Parliament during a financial year, the reimbursement shall be proportionate in that financial year.

(3) Where the Ex-member received the reimbursement of the limit of amount Rupees 25000/- (Rupees Twenty Five Thousand) before elected as Member of Legislative Assembly or Member of Parliament in a financial year, the amount already paid in excess shall be deposited by such member or if not deposited it shall be adjusted by the Secretary from the amount payable to such member.

(4) Ex-members shall submit a travel bill in duplicate along with Original Ticket of the journey to the Secretary.

By Order of the Governor,

S. D. Tak

Principal Secretary to the Government

पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) जहां भूतपूर्व सदस्य किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विधान सभा के सदस्य या संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो वहां उस वित्तीय वर्ष में पुनर्भरण आनुपातिक होगा।

(3) जहां भूतपूर्व सदस्य ने किसी वित्तीय वर्ष में विधान सभा के सदस्य या संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के पूर्व 25000/- रु. (रुपये पच्चीस हजार) की रकम की सीमा तक पुनर्भरण प्राप्त कर लिया है वहां पहले ही आधिक्य में संदत्त की गयी रकम ऐसे सदस्य द्वारा जमा करायी जायेगी या यदि जमा नहीं करायी गयी है तो ऐसे सदस्य को संदेय रकम में से सचिव द्वारा इसे समायोजित कर लिया जायेगा।

(4) भूतपूर्व सदस्य यात्रा के मूल टिकिट के साथ दो प्रतियों में यात्रा बिल सचिव को प्रस्तुत करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

एस. डी. टाक

प्रमुख शासन सचिव